

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लैप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिह्न यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा कोई भी प्रश्न के उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह "राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992" के तहत दण्डित कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्न पत्र 'अ' 'ब' 'स' और 'द' चार भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या और उनके अंक उस भाग में अंकित किये गये हैं।
5. चारों भागों यथा, 'अ' 'ब' 'स' और 'द' में दिये गये प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी को अपने उत्तर निर्धारित जगह से अधिक नहीं लिखने चाहिये। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिये, दोनों में नहीं। फ्लैप पर 'उत्तर के माध्यम' के चौखाने में एक विकल्प को ☒ से चिह्नित करें।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र अभिजागर से कह कर उसे बद अभिजागर के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll Number, Name, Address, Mobile Number/ Telephone Number, Name of God etc. or any irrelevant word, sentence or figure other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under "The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992".
4. The question paper is divided into four parts 'A', 'B', 'C' and 'D'. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in that part.
5. The answer of the questions in all four parts i.e. 'A', 'B', 'C' and 'D' should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Attempt answers either in Hindi or in English, not in both. Specify an option by ticking ☒ in box of "Medium of Answer" on the flap.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of invigilator for change or direction at earliest, otherwise the candidate will be liable for that.
10. Possession of any electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

NOTE : Attempt all the questions. Questions No.1 to 8 carry 3 marks each, questions No.9 to 12 carry 5 marks each, questions No.13 to 17 carry 6 marks each, questions No.18 and 19 carry 8 marks each and question No.20 carries 10 marks.

नोट :-समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये । प्रश्न संख्या 1 से 8, प्रत्येक हेतु 3 अंक, प्रश्न संख्या 9 से 12, प्रत्येक हेतु 5 अंक, प्रश्न संख्या 13 से 17, प्रत्येक हेतु 6 अंक, प्रश्न संख्या 18 एवं 19, प्रत्येक हेतु 8 अंक एवं प्रश्न संख्या 20 हेतु 10 अंक निर्धारित हैं।

PART-A/ भाग- अ

Marks/अंक- 24

Attempt all the 8 questions. Questions No.1 to 8 carry 3 marks each.

समस्त 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 1 से 8, प्रत्येक हेतु 3 अंक निर्धारित हैं।

Question No.1

(3 Marks)

How a sale in case of tangible immoveable property of a value less than one hundred rupees can be made under Section 54 of the Transfer of Property Act, 1882?

प्रश्न संख्या 1

सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अन्तर्गत एक सौ रुपये से कम मूल्य की मूर्त स्थावर सम्पत्ति का विक्रय कैसे किया जा सकता है?

Question No.2

(3 Marks)

Under the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 in what circumstances a court can grant permission to the natural guardian to deal with the immovable property of a minor?

प्रश्न संख्या 2

हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किन परिस्थितियों में न्यायालय नैसर्गिक संरक्षक को अप्राप्तवय की स्थावर सम्पत्ति से व्यवहार करने की अनुज्ञा दे सकता है?

Question No.3

(3 Marks)

What is meant by 'guardian *ad litem*' and which Order of Civil Procedure Code deals with it?

प्रश्न संख्या 3

'वादार्थ संरक्षक' से क्या अभिप्राय है एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश इससे संबंधित है?

Question No.4

(3 Marks)

Suits and applications specified in which Schedule of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 can be heard and determined by a revenue court only? State description of any two such suits or applications.

प्रश्न संख्या 4

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की किस अनुसूची में उल्लेखित वाद एवं आवेदन केवल राजस्व न्यायालय द्वारा सुने और अवधारित किये जा सकते हैं? ऐसे किन्हीं दो दावों या आवेदनों के विवरण का उल्लेख करें।

Question No.5

(3 Marks)

What is the distinction between a certificate of recovery issued under the Rajasthan Rent Control Act, 2001, in case of premises let out for commercial use and premises other than those let out for commercial use?

प्रश्न संख्या 5

वाणिज्यिक उपयोग के लिए किराये पर दिये परिसर के मामले में एवं वाणिज्यिक उपयोग के अलावा किराये पर दिये परिसर के मामले में राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए जारी प्रमाणपत्रों में क्या भिन्नता है?

Question No.6

(3 Marks)

Under which provision of Code of Civil Procedure, restoration or setting aside of orders passed ex parte can be sought regarding an application filed under Order XXI of CPC which has been dismissed for non appearance or decided ex parte?

प्रश्न संख्या 6

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अन्तर्गत आदेश XXI व्य.प्र.सं. के अधीन दायर आवेदन के एक पक्षीय रूप से या अनुपस्थिति में खारिज आदेशों को पुनर्स्थापन अथवा अपास्त करने हेतु प्रार्थनापत्र दाखिल किया जा सकता है?

Question No.7

(3 Marks)

What is the exception to the requirement of notice before institution of suit against Municipality or its officers under Section 304 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009?

प्रश्न संख्या 7

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 304 के अन्तर्गत नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद संस्थित करने से पूर्व नोटिस दिये जाने की आवश्यकता का क्या अपवाद है?

Question No.8

(3 Marks)

How a witness can be contradicted by the previous statements made by him in writing?

प्रश्न संख्या 8

किसी साक्षी का, उन पूर्वतन कथनों से, जो उसने लिखित रूप में किये हैं, उस लेख द्वारा कैसे खण्डन किया जा सकता है?

Attempt all the 5 questions. Questions No.9 to 12 carry 5 marks each and question no. 13 carries 6 marks.

समस्त 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 9 से 12, प्रत्येक हेतु 5 अंक एवं प्रश्न संख्या 13 हेतु 6 अंक निर्धारित हैं।

Question No.9**(5 Marks)**

Under provisions of the Easements Act, 1882 in what circumstance a license is transferable?

प्रश्न संख्या 9

सुखाचार अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अन्तर्गत किस परिस्थिति में अनुज्ञप्ति अन्तरणीय होगी?

Question No.10**(5 Marks)**

What is meant by 'Continuing guarantee' under the Contract Act, 1872?

प्रश्न संख्या 10

संविदा अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत 'चलत प्रत्याभूति' से क्या अभिप्राय है?

Question No.11**(5 Marks)**

Under what conditions, the objection as to the place of suing can be allowed by any appellate or revisional Court?

प्रश्न संख्या 11

किन स्थितियों में वाद लाने के स्थान के सम्बन्ध में कोई आक्षेप किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जा सकता है?

Question No.12**(5 Marks)**

What are the provisions relating to stamp purchased, which has not been used or no allowance has been claimed in respect thereof, under Rajasthan Stamp Act, 1998?

प्रश्न संख्या 12

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत ऐसा क्रय किया गया कोई स्टाम्प जिसे उपयोग में नहीं लिया गया हो या जिसके संबंध में छूट का कोई दावा नहीं किया गया हो, के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है ?

Question No.13**(6 Marks)**

Enumerate the prerequisites for filing an application for eviction of tenants under the Rajasthan Rent Control Act, 2001 on the ground that 'the tenant has neither paid nor tendered the amount of rent due from him'.

प्रश्न संख्या 13

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत इस आधार पर कि 'किरायेदार ने उससे शोध्य किराये की रकम न तो संदत्त की है, न निविदत्त की है' किरायेदार की बेदखली का आवेदन करने की पूर्वापेक्षित शर्तों का वर्णन करें।

Attempt all the 4 questions. Questions No.14 to 17 carry 6 marks each.

समस्त 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 14 से 17, प्रत्येक हेतु 6 अंक निर्धारित हैं।

Question No.14**(6 Marks)**

Who can make an application for compensation arising out of an accident under Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988?

प्रश्न संख्या 14

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अन्तर्गत दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन किसके द्वारा किया जा सकता है?

Question No.15**(6 Marks)**

Explain the difference in position in relation to provisions of 'Enforcement' as provided under Section 36 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 prior to and after the amendment introduced by Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015.

प्रश्न संख्या 15

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 में 'प्रवर्तन' के प्रावधानों के सम्बन्ध में माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा किये गये संशोधन से पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति के अन्तर को समझाइये।

Question No.16**(6 Marks)**

What are the provisions in the Constitution of India in relation to inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States?

प्रश्न संख्या 16

भारत के संविधान में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है?

Question No.17**(6 Marks)**

Indicate various provisions relating to time of presentation of wills and presentation of Wills under Registration Act, 1908.

प्रश्न संख्या 17

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत वसीयत को प्रस्तुत करने के समय एवं वसीयत के प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख करें।

Attempt all the 3 questions. Questions No.18 and 19 carry 8 marks each and question no. 20 carries 10 marks.

समस्त 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 18 एवं 19, प्रत्येक हेतु 8 अंक एवं प्रश्न संख्या 20 हेतु 10 अंक निर्धारित हैं।

Question No.18**(8 Marks)**

What is the effect of fraud or mistake on the period of limitation prescribed by the Limitation Act, 1963 for any suit or application?

प्रश्न संख्या 18

किसी वाद या आवेदन के मामले में परिसीमा अधिनियम, 1963 द्वारा विहित परिसीमा काल पर कपट या भूल का क्या प्रभाव है?

Question No.19**(8 Marks)**

Write a note on provisions relating to decision as to proper fee and valuation of the suit under Section 11 of the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961.

प्रश्न संख्या 19

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अन्तर्गत समुचित फीस एवं वाद के मूल्यांकन के विषय में विनिश्चय से सम्बन्धित प्रावधानों पर टिप्पणी लिखिये।

Question No. 20**(10 Marks)**

Frame the issues on the basis of the pleadings of the parties noticed below and write the judgement:

On 01.05.2011 plaintiff 'A' filed a suit for specific performance of an agreement dated 30.04.2002 against 'B' concerning sale of a plot situated at Civil Lines, Bikaner, which was already in possession of the plaintiff as tenant. It was claimed that the plaintiff has performed his part of the agreement and has paid entire consideration of Rs. 10,00,000/- by December, 2007; however, the sale deed was not executed and registered and despite repeated requests, the same was being avoided. The defendant gave notice dated 01.02.2011 alleging default in payment of rent. When plaintiff personally met with defendant on 15.03.2011, he refused to execute the sale deed. It was prayed that defendant be directed to execute sale deed and get the same registered.

A written statement was filed by the defendant inter alia submitting that the plaintiff has not performed his part of the contract, even as per the plaint averments the consideration

was paid in December, 2007, therefore, the suit was barred by limitation and the agreement being unregistered is inadmissible in evidence. It was also claimed that as defendant's daughter was to get married and as he was in dire need of funds, the agreement was entered into for a paltry sum. It was prayed that the suit be dismissed.

प्रश्न संख्या 20

पक्षकारों के अधोवर्णित अभिवचनों के आधार पर विवाहकों की रचना करें एवं निर्णय लिखें :

दिनांक 01.05.2011 को वादी 'ए' ने 'बी' के विरुद्ध सिविल लाईन्स, बीकानेर में स्थित भूखण्ड, जो पूर्व से ही वादी के कब्जे में किरायेदार के तौर पर था, के विक्रय हेतु अनुबन्ध दिनांक 30.04.2002 के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद प्रस्तुत किया। यह कथन किया गया कि वादी ने स्वयं के जिम्मे अनुबन्ध के सभी निबन्धनों का पालन किया है एवं सम्पूर्ण प्रतिफल रुपये 10,00,000/- का भुगतान दिसम्बर, 2007 तक कर दिया था; किन्तु विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीकरण नहीं करवाया गया और बार-बार आग्रह करने पर, उसे टाला गया। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 01.02.2011 को यह कहते हुए नोटिस दिया गया कि वादी ने किराये अदायगी में व्यतिक्रम किया है। दिनांक 15.03.2011 को जब वादी व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी से मिला, तो प्रतिवादी ने विक्रय पत्र के निष्पादन से इन्कार कर दिया। यह प्रार्थना की गयी कि प्रतिवादी को विक्रय पत्र निष्पादित करने एवं उसे पंजीकृत करवाने का निर्देश दिया जाये।

प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि वादी ने स्वयं के जिम्मे अनुबन्ध के निबन्धों का पालन नहीं किया है, यहाँ तक कि वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसार भी प्रतिफल का भुगतान दिसम्बर, 2007 में कर दिया गया था इसलिए वाद अवधि बाधित है, अनुबन्ध अपंजीकृत होने से साक्ष्य में अग्राह्य है। यह भी कथन किया गया कि चूंकि प्रतिवादी की पुत्री का विवाह होने वाला था एवं उसे धन की सख्त आवश्यकता थी इसलिए अनुबन्ध बहुत ही तुच्छ प्रतिफल पर किया गया था। वाद खारिज करने की प्रार्थना की गयी।